Issued to all concern

प्रा64

बिहार सरकार
परिवहन विभाग

आदेश

ज्ञापांक–02 / सी0एम0टी0–16 / 2014 परि0 296 पटना, दिनांक– 20/1/17

पूर्व में विधान सभा सत्र में डीलर प्वाइंट सहित जिला परिवहन कार्यालयों में लंबित निबंधन प्रमाण पत्र के संबंध में कई प्रश्न उठाये गये थे जिसके आलोक में विभाग द्वारा सभी जिला परिवहन कार्यालयों में डिलर प्वाइंट सहित निबंधन प्रमाण–पत्र के लंबित होने की सूचना उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया था।

सभी जिला परिवहन कार्यालयों द्वारा डीलर प्वाइंट एवं कार्यालय पर लंबित निबंधन प्रमाण–पत्र की संख्या से विभाग को अवगत कराया गया जिसकी विभाग द्वारा समीक्षा की गयी एवं समीक्षोपरांत पाया गया की जिला परिवहन कार्यालयों द्वारा डीलरों को पूर्व में आवंटित निबंधन संख्या के समाप्ति से पहले ही नया निबंधन संख्या उक्त डीलरों को आवंटित कर दिया जाता है जिससे डीलर प्वाइंट पर निबंधन प्रमाण–पत्र लंबित हो जाते हैं।

उपर्युक्त के आलोक में विभाग द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा यह प्रमाणित नहीं कर दिया जाता है कि उनके जिले को विभाग द्वारा पूर्व में डीलर प्वाइंट पर आवंटित निबंधन संख्या को स्मार्ट कार्ड में निर्गत कर संबंधित डीलर को उपलब्ध नही करा दिया गया है, तब तक उस कार्यालय को डीलर प्वाइंट पर निबंधन संख्या का आवंटन नही किया जाएगा। चूँकि डीलर प्वाइंट पर निबंधन प्रमाण–पत्र के स्मार्ट कार्ड मे लंबित होने की सूचना कई आवेदन एवं शिकायतों के द्वारा विभाग को प्राप्त हुई है।

जिलों के डीलरों को उनके लंबित निबंधन प्रमाण पत्र को स्मार्ट कार्ड में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने हेतु विभाग द्वारा तत्काल डीलर प्वाइंट पर निबंधन की प्रक्रिया को स्थगित करने का राज्यव्यापी निर्णय लिया गया है।

अतः अगले आदेश तक जिला परिवहन कार्यालयों में तत्काल प्रभाव से डीलर प्वाइंट पर वाहन निबंधन की प्रक्रिया को स्थगित किया जाता है।

ह0/- 20/1

प्रधान सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 02 / सी0एम0टी0–16 / 2014 परि0 296 पटना, दिनांक– 20/1/17

प्रतिलिपि– सभी जिला परिवहन पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उक्त विभागीय आदेश का अनुपालन में जिलें के सभी डीलर प्वाइंट पर वाहन निबंधन के प्रक्रिया को स्थगित करना सुनिश्चित किया जाय।

ह0/- 20/1

प्रधान सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–02 / सी0एम0टी0–16 / 2014 परि0 296 पटना, दिनांक– 20/1/17

प्रतिलिपि– मंत्री, परिवहन विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/- 20/1

प्रधान सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 02 / सी0एम0टी0–16 / 2014 परि0 296 पटना, दिनांक– 20/1/17

प्रतिलिपि– राज्य सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0, पटना / प्रधान पद्धति विश्लेषक, NIC, Patna को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/- 20/1

प्रधान सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।